राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

**दिनांक 26.03.2014 को मध्यान्ह 4.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण**

दिनांक 26.03.2014 को मध्यान्ह 4.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन समिति कक्ष–प्रथम शासन सचिवालय में किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्री सी.एस. राजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर
2. श्री अशोक सम्पतराम, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग
3. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग, प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग
4. श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
5. श्री अनिल चपलोत, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग

बैठक के प्रारम्भ में ही मुख्य सचिव महोदय ने किसी आपदा के घटित होने पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में Standard Operating Procedure (SOP) की जानकारी ली। इस पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने यह निर्देश दिये कि नोडल विभागों द्वारा विभागीय योजना एवं SOP शीघ्र तैयार की जावे तथा उनका भी प्रस्तुतीकरण किया जावे जिससे विभिन्न आपदाओं यथा भूकम्प, बाढ़, आग आदि से निपटने हेतु राज्य स्तर से जिला व पंचायत स्तर तक प्रक्रिया अपनाई जा सके।

बैठक में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। विचार विमर्श के पश्चात बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर समिति द्वारा इस योजना का अनुमोदन किया गया।

2. राजस्थान राहत कोष की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समिति ने इसकी समयावधि आगामी 4 वर्ष तक बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया।

3. राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेजों के बिन्दु संख्या 1.42 की क्रियान्विति हेतु नीलगाय (रोजड़ा) एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों की हानि पर

राज्य बजट से कृषि आदान अनुदान दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में समिति ने प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये।

4. नीतिगत दस्तावेजों के संकल्प संख्या 3.05 में प्रदेश के प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में प्रकरण में विस्तृत परीक्षण का सुझाव दिया गया।

5. वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सूखा एवं बाढ़ राहत मद में हुये व्यय राशि रुपये 257.80 करोड़ तथा स्वीकृत कार्यों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

6. जोधपुर शहर में उदयमंदिर क्षेत्र में दिनांक 29.9.13 को अतिवृष्टि के फलस्वरूप दीवार ढह जाने से प्रभावित परिवारों के लिये राहत शिविर संचालन किया गया। राहत शिविर संचालन का अनुमोदन किया गया। राहत शिविर प्रारम्भ में 29.9.2013 से 30 दिवस के लिए चलाए गए। लेकिन क्षतिग्रस्त दीवार को नहीं हटाये जाने एवं राहत शिविर में रह रहे लोगों के पुनर्वास का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तथा इन परिवारों के घरों में खतरा बरकरार रहने से उक्त शिविर की अवधि पुनः 30 दिवस के लिए बढ़ाई गई। अतः इस प्रकार राहत शिविर 60 दिवस तक चलाए गए। समिति द्वारा 60 दिवस तक राहत शिविर संचालन का अनुमोदन किया गया।

7. वित्तीय वर्ष 2013–14 में क्षमता संवर्धन की वार्षिक कार्य योजना का पूर्व में पत्रावली पर अनुमोदन लिया जा चुका था। वर्ष 2013–14 की क्षमता संवर्धन की वार्षिक कार्य योजना का समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

शासन सचिव

क्रमांक : एफ 1(1)(4)आप्रएवं सहा / सामान्य–III / 2007 / 3123-29 दिनांक 21–4–2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग, राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज. जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव